न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./96/2022

1. फतेह मोहम्मद पुत्र कासिम,
2. सत्तार पुत्र श्री अल्लादीन,
3. मुनीर पुत्र श्री अल्लादीन,
4. सद्दीक पुत्र श्री अल्लादीन, पुत्र श्री अल्लाद्दीन सभी जाति मंसूरी निवासीगण कुण्डियाकलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रार्थीगण,

बनाम

1. सावित्री पत्नी हेमराज, जाति तेली निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
2. लादूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
3. सीता देवी पत्नी रघुवीर जाति अहीर निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
4. तेजू पुत्र हरदेव, जाति गुर्जर, निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
5. इन्द्रा पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
6. नाबालिग खुशी पुत्री सांवरलाल जाति जाट, संरक्षक दादी बरजी पत्नी गोपाल निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
7. बरजी पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
8. मतरा पत्नी सांवरलाल जाति जाट निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
9. रतनलाल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
10. लाली पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
11. सोनू पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
12. अनिल कुमार पुत्र देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
13. गोपाल पुत्र देवीलाल जाति दर्जी, निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
14. महावीर पुत्र देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर
15. सम्पत पत्नी देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय, अजमेर(विलोपित)
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– त्रिलोक जांगिड़

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 28 में दर्ज खसरा नं. 763 रकबा 0.32 है0 एवं खसरा नम्बर 764 रकबा 0.54 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.86 है0 है, जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 15 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 14 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 14 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 15 को जारी नोटिस फौत सूचना के साथ प्राप्त हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया की प्रार्थीयां संख्या 15 सम्पत के वारिसान पूर्व में संयोजित है, अतः अप्रार्थीयां संख्या 15 सम्पत पत्नी देवीलाल का नाम विलोपित किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 अनुतोष योग्य होने से अप्रार्थीयां संख्या 15 का नाम विलोपित किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियाकलां का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 28 में दर्ज खसरा नं. 763 रकबा 0.32 है0 एवं खसरा नम्बर 764 रकबा 0.54 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.86 है0**, प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **देवलियाकलां** को 1500/–(एक हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11..2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, (अजमेर)

Scanned with CamScanner